छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी, 2024 (माघ 17, 1945)

कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 5 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण करने की सिफारिश को दिनांक 6 फरवरी, 2024 को सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई :–

1. वित्तीय कार्य –

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण, मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी, 2024 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु **3 घंटे का समय निर्धारित किया गया।**

(2) वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक का उपस्थापन शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मध्यान्ह् 12.30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 एवं मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 को होगी।

(3) बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।

(4) मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :–

(1)	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	– 3 घंटे
(2)	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	– 3 घंटे
(3)	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	– 2 घंटे
(4)	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री	– 3 घंटे
(5)	श्री राम विचार नेताम, कृषि मंत्री	– 2 घंटे

(6)	श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	– 2 घंटे
(7)	श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	– 2 घंटे
(8)	श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	– 1 घंटा
(9)	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	– 2 घंटे
(10)	श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री	– 2 घंटे
(11)	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री	– 1 घंटा
(12)	श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री	– 2 घंटे

2. विधि विषयक कार्य :–

(1) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024।

(2) छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024।

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024।.।

पर चर्चा हेतु 30–30 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 तक भोजन अवकाश नहीं होगा ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.